तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/2006/3522/अलवर** **रामजीलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-01-2024	**एकल–पीठ** **श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य** **उपस्थित :–** (1) श्री मृणाल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण। (2) खुर्शीद अनवर उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी। **निर्णय** 1– यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 28–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 520 का रकबा 10 बीघा वाके ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर मुण्डावर ने अपने आदेश दिनांक 27–01–2003 द्वारा कब्जा सरकार लेकर आराजी को सार्वजनिक बोली पर बेचे जाने के निर्देश दिये जिसके विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर कम सैटलमेन्ट कमीश्नर के समक्ष प्रार्थीगण/निगराकारन ने प्रस्तुत की तथा अप्रार्थी महेन्द्र कुमार ने भी अपील प्रस्तुत की इन दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ दिनांक 28–10–2003 को करते हुए दोनो अपीलों को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण / निगराकारान व अप्रार्थी महेन्द्र कुमार ने अलग अलग दो अपीले भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत की। इन दोनों का एक ही निर्णय दिनांक 22–5–2006 पारित करते हुये दोनों अपीलों को निरस्त कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/2006/3522/अलवर</u>** **रामजीलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मंडल के समक्ष प्रस्तुत की है। 3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। 4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि निगराकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होकर मौके पर आबाद है जो कि मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 25/10/1993 तथा रिपोर्ट मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 27/01/1988 से साबित है जिसका अवलोकन किये बिना ही अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण रूप से पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा निगराकार का होना मौका रिपोर्ट से साबित है तथा राजस्व रेकार्ड, खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 2019 व खसरा परिवर्तनशील सम्वत-2042 में प्रार्थी / निगराकार का कब्जा दर्ज है तथा लोकल टेनेन्ट के लिये राशनकार्ड, वोटरलिस्ट सहित उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर प्रस्तुत किये हैं जिसके खण्डन में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं हुई है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी / निगराकार उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में आवंटन की योग्यता रखता है। तहसीलदार ने भी धारा-91 की कार्यवाही के तहत कब्जा प्रार्थी / निगराकार का माना है। प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है क्योंकि उसके पास 25 बीघा से अधिक भूमि नहीं है। अपीलाधीन निर्णयों में भी यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी / निगराकार के पास 14 बीघा भूमि ही है और पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 05/05/2001 में प्रार्थी / निगराकार को भूमि पर अतिक्रर्मी के रूप में काबिज होना बताया है और प्रार्थी / निगराकार वर्ष 1980 से लगातार काबिज होने से प्राथमिकता के रूप में भूमि के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/2006/3522/अलवर** **रामजीलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटन पट्टा कीमतन पाने का हकदार है। प्रार्थी / निगराकार आवंटन नियम-06 के तहत 10 सालों से अधिक समय गांव में निवासित है और आवंटन नियमों के तहत पूर्ण रूप से आवंटन का पात्र होने के उपरान्त भी त्रुटिपूर्ण रूप से विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकार्ड, मौका रिपोर्ट आदि से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी / निगराकार के नाम केवल मात्र 14 बीघा-05 बिस्वा भूमि है जिससे भी कीमतन आवंटन से पट्टा प्राप्त करने का विधिक रूप से पात्र व अधिकारी होने के उपरान्त भी विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अपने उपरोक्त कथनों व बहस के समर्थन में पूर्व में ही प्रार्थी / निगराकार ने आदेश 41 नियम 27 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये हैं जिसे रेकार्ड पर लेकर विधिवत अवलोकन करते हुये पारदर्शितापूर्ण रूप से प्रार्थी / निगराकार की निगरानी को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाये जावें। 5- विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार कम मैनेजिंग आफीसर, अलवर ने प्रकरण में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन कर अपने निर्णय दिनांक 27-01-2003 में यह पाया है कि प्रार्थी रामजीलाल एवं पूरण के पास स्वयं की भूमि है इसलिए वे भूमिहीन की श्रेणी में नही आते है। अप्रार्थी महेन्द्र पौत्र बुद्धाराम महाजन के पक्ष में आवंटन नहीं पाया गया है। वर्ष 1980 में भूमि का हस्तांतरण उनके पक्ष में किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/2006/3522/अलवर** **रामजीलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। उक्त स्थिति को देखते हुए तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के नियम 6 के अन्तर्गत भूमि के सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा किया जाना उचित पाया है। जिला कलक्टर कम सैटलमेंट कमिश्नर को पत्रावली इस सिफारिश के साथ उच्चतम बोली के आधार पर भूमि विक्रय करने का निवेदन किया है। तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 27-01-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को जिला कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर, अलवर के समक्ष पेश की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28-10-2003 द्वारा कस्टोडियन भूमि नियमों के तहत ऐसी भूमि का निस्तारण नियम 6 के तहत किया जाना उचित मानते हुए अपील खारिज की है। अपीलीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने भी निर्णय दिनांक 22-5-2006 द्वारा जिला कलक्टर कम सैटलमंट कमिश्नर, अलवर के निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज की है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने दोनों पक्षों का विवादित भूमि पर कब्जा अथवा आवंटन नहीं पाते हुए प्रकरण खारिज किये है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे। 6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7- प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 24-11-2022 के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>निगरानी/एलआर/2006/3522/अलवर</u>
रामजीलाल बनाम सरकार</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>दस्तावेज, राजकीय दस्तावेज हैं, जिनको रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तोवजों को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, अलवर ने निर्णय दिनांक 27-01-2003 द्वारा यह निष्कर्ष अंकित किया है कि मिसल बंदोबस्त संवत 2029 में आराजी खसरा नंबर 520 सिवायचक कस्टोडियन दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2019 में साबिक खसरा नंबर 368 की किस्म गैरमुमकिन जोहड़ मकबूजा कस्टोडियन दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा गिरदावरी में बुद्धाराम का कब्जा काश्त अंकित है परन्तु किस हैसियत से उनका कब्जा रहा है इस आशय का कोई भी दस्तावेज जैसे जमाबन्दी, आवंटन पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है। अतः कस्टोडियन भूमि जो कि किस्म जोहड़ थी, पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। वर्ष 1980 के बाद जरिये इकरारनामा कब्जा रामजीलाल पूरण पुत्र नेताराम को हस्तांतरित किया जाना पाया जाता है, जबकि हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है।

9- इस संबंध में हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर रामजीलाल एवं पूरण को भूमि का आवंटन किया जाना जाहिर होता हो। जहां तक गिरदावरी में बुद्धाराम जो कि अप्रार्थी महेन्द्र के दादा है, का नाम किस हैसियत से अंकित किया है, के बाबत भी विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्षकार</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

<u>निगरानी/एलआर/2006/3522/अलवर</u>
रामजीलाल बनाम सरकार</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>कस्टोडियन भूमि को आवंटन कराने का पात्र नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही मात्र अतिक्रमण को दर्शाती है। इससे किसी पक्षकार का लगातार विवादित आराजी पर कब्जा हो साबित नही होता है और अतिक्रमण के आधार किसी पक्षकार को सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है।

10- हमारे समक्ष विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ऐसा कोई नया तथ्य एवं दस्तावेज पेश नहीं कर पाये है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि प्रार्थी कस्टोडियन भूमि को आवंटन कराने के अधिकारी हैं या वे भूमिहीन कृषक है या लोकल टीनेन्ट हैं। अतः कस्टोडियपन भूमि नियमों के तहत् ऐसी भूमि का निस्तारण नियम 6 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत ही किये जाने का प्रावधान है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुए निर्णय पारित किया जावे। हमनें उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें अतिक्रमी के विरूद्ध समय-समय पर आरोपित की गयी पैनल्टी की रसीदें हैं। उक्त दस्तावेज महज अतिक्रमण को दर्शाते हैं, वह भी लगातार नहीं है। अतिक्रमी को कस्टोडियन भूमि बाबत् कोई सहायता नहीं दी जा सकती है।

11- जिला कलक्टर कम सैटलमेंट कमिश्नर, अलवर एवं भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय क्रमशः दिनांक 28-10-2003 एवं 22-5-2006 में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह यही मत अभिव्यक्त कर न्यायोचित निर्णय पारित किया है कि कस्टोडियन नियम 1963 के प्रावधानों के तहत दोनों पक्षकार</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>निगरानी/एलआर/2006/3522/अलवर</u>
रामजीलाल बनाम सरकार</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>पात्रता नहीं रखते है। ऐसी स्थिति में कस्टोडियन भूमि नियमों के तहत ऐसी भूमि का निस्तारण नियम 6 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत ही किये जाने का प्रावधान है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें विधि एवं क्षेत्राधिकार संबंधित कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है जिसके आधार पर निगरानी में हस्तक्षेप किया जावे। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

12- परिणामतः निगरानी खारिज की जाती है तथा न्यायायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर को निर्णय दिनांक 22-5-2006 बहाल रखा जाता है।

13- उक्त आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/2006/3522/अलवर</u>** **रामजीलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए